उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)वाद सं0 :–07 / 2023–24

रुपेश कुमार सिंह
बनाम
धनपति सिंह वगै0

अपीलार्थी श्री रुपेश कुमार सिंह पिता–स्व0 नवल किशोर सिंह पता–बड़ाईक मुहल्ला गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–28 / 2021–22 दिनांक–11.10.2022 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि विवादित भूमि गुमला अंचल अन्तर्गत मौजा–गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला के खाता सं0–01 प्लॉट सं0–853 रकबा–8.84 एकड़, खाता सं0–04 प्लॉट सं0–0.47 रकबा–0.47 एकड़, खाता सं0–04 प्लॉट सं0–852 रकवा–1.24 एकड़ एवं खाता सं0–04 प्लॉट सं0–865 / 1569 रकबा–0.05 एकड़ कुल रकबा–10.60 एकड़ भूमि से संबंधित है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न अपीलीय न्यायालय के अभिलेख में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि एक ही वंशजो की खतियानी भूमि है। निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा भूमि से संबंधित दावेदारों को पक्षकार नही बनाना तथा अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पूर्णरुपेण समीक्षा किये बिना ही आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

अतः निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित सभी दावेदारो को पक्षकार बनाते हुए विहित प्रक्रिया का पालन कर तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद Remand किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

Sd/- 27.06.23
उपायुक्त,
गुमला

Sd/- 27.06.23
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2023.07.27 15:34:45 +05:30
Location: 192.168.5.110

Scanned with OKEN Scanner